"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2021 — भाद्रपद 12, शक 1943

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 सितम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–19/2015/XII.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख, उप–धारा (3), धारा 15 की उप–धारा (4) एवं धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 10 में, तालिका में,–

(एक) सरल क्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये।

(दो) सरल क्रमांक 1क के कॉलम (3) में, शब्द "पदेन सदस्य सचिव" के स्थान पर, शब्द "पदेन अध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) सरल क्रमांक 1ख एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्–

स. क्र.	न्यासी के पद के नाम/विवरण	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
"1ग	जिले के लोकसभा का सदस्य, शासी परिषद के सदस्य होंगे। यदि किसी जिले में लोकसभा के एक से अधिक संसद सदस्य हों, तो उस जिले के लोकसभा के सभी संसद सदस्य शासी परिषद के सदस्य होंगे तथा यदि लोकसभा के किसी संसद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र, एक से अधिक जिलों के अंतर्गत आता है, तो लोकसभा का संसद सदस्य ऐसे सभी जिलों के शासी परिषद के सदस्य होंगे।	पदेन सदस्य
1घ	राज्य से राज्य सभा का संसद सदस्य, अपने द्वारा चयनित किसी एक जिले शासी परिषद के सदस्य होंगे। (राज्य सभा का संसद सदस्य, अपने द्वारा चयनित जिले का नाम, राज्य के खनिज साधन विभाग के प्रभारी सचिव को संसूचित करेंगे, जो इसकी संसूचना, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला कलेक्टर को देंगे।)	पदेन सदस्य

(चार) सरल क्रमांक 5 में कॉलम (3) में, शब्द "पदेन सदस्य " के स्थान पर, शब्द "पदेन सदस्य–सचिव" प्रतिस्थापित किया जाये।

2. प्ररूप–क में, नियम 9 में, तालिका में,–

(एक) सरल क्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये।

(दो) सरल क्रमांक 1क के कॉलम (3) में, शब्द "पदेन सदस्य सचिव" के स्थान पर, शब्द "पदेन अध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) सरल क्रमांक 1ख एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्–

स. क्र.	न्यासी के पद के नाम/विवरण	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
"1ग	जिले के लोकसभा का सदस्य, शासी परिषद के सदस्य होंगे। यदि किसी जिले में लोकसभा के एक से अधिक संसद सदस्य हों, तो उस जिले के लोकसभा के सभी संसद सदस्य शासी परिषद के सदस्य होंगे तथा यदि लोकसभा के किसी संसद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र, एक से अधिक जिलों के अंतर्गत आता है, तो लोकसभा का संसद सदस्य ऐसे सभी जिलों के शासी परिषद के सदस्य होंगे।	पदेन सदस्य
1घ	राज्य से राज्य सभा का संसद सदस्य, अपने द्वारा चयनित किसी एक जिले शासी परिषद के सदस्य होंगे। (राज्य सभा का संसद सदस्य, अपने द्वारा चयनित जिले का नाम, राज्य के खनिज साधन विभाग के प्रभारी सचिव को संसूचित करेंगे, जो इसकी संसूचना, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला कलेक्टर को देंगे।)	पदेन सदस्य

(चार) सरल क्रमांक 5 में कॉलम (3) में, शब्द "पदेन सदस्य "के स्थान पर, शब्द "पदेन सदस्य–सचिव" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 2 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 7–19/2015/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 02–09–2021, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 2nd September 2021

NOTIFICATION

No. F 7-19/2015/12.— In exercise of the powers conferred by Section 9(B), sub-section (4) of section 15 and Section 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 10, in table,-

(i) serial number 1 and entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in column (3) serial number 1A, for the words "Ex officio Member Secretary", the word "Ex-officio Chairman" shall be substituted.

(iii) after serial number 1B and entries relating thereto, the following shall be added, namely ;-

S.No.	Name of the Post/Details of the Trustee	Designation in the Trust
(1)	(2)	(3)
"1C.	Member of parliament (MP), Lok Sabha of the district shall be a member of the Governing council. In case, there are more than one MPs of Lok Sabha in a district, all MPs of Lok Sabha of the districts shall be member of the Governing Council and In case, the constituency of one MP of Lok Sabha falls in more than one districts, the MP of Lok Sabha shall be member of the Governing Council of all such districts.	Ex officio Member
1D.	MP of Rajya Sabha from a State shall be a member of the Governing Council of one district selected by him/her. (The Rajya Sabha MP shall intimate name of the district selected by him/her to the Secretary in-charge of Mineral Resources Department of the State who in turn shall inform the concerned District Magistrate/ Deputy Commissioner/ District Collector.)	Ex officio Member"

(iv) in column (3) of serial number 5, for the words "Ex Officio Member", the words "Ex-Officio Member-Secretary" shall be substituted.

2. In FORM-A, in rule 9, in table,-

(i) serial number 1 and entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in column (3) serial number 1A, for the words "Ex officio Member Secretary", the word "Ex-officio Chairman" shall be substituted.

(iii) after serial number 1B and entries relating thereto, the following shall be added, namely ;-

S.No.	Name of the Post/Details of the Trustee	Designation in the Trust
(1)	(2)	(3)
"1C.	Member of parliament (MP), Lok Sabha of the district shall be a member of the Governing council. In case, there are more than one MPs of Lok Sabha in a district, all MPs of Lok Sabha of the districts shall be member of the Governing Council and In case, the constituency of one MP of Lok Sabha falls in more than one districts, the MP of Lok Sabha shall be member of the Governing Council of all such districts.	Ex officio Member
1D.	MP of Rajya Sabha from a State shall be a member of the Governing Council of one district selected by him/her. (The Rajya Sabha MP shall intimate name of the district selected by him/her to the Secretary in-charge of Mineral Resources Department of the State who in turn shall inform the concerned District Magistrate/ Deputy Commissioner/ District Collector.)	Ex officio Member"

(iv) in column (3) of serial number 5, for the words "Ex Officio Member", the words "Ex-Officio Member-Secretary" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PUSHPA SAHU, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.